



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]
No. 188]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मई 29, 2008/ज्येष्ठ 8, 1930
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2008/JYAISTHA 8, 1930

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
नीतिगत संकल्प
नई दिल्ली, 28 मई, 2008

विषय : सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्रों की स्थापना के लिए नीतिगत संकल्प

सं. 7(5)/2006-ई-इन्फ्रा.-नीति के उद्देश्य.—पिछले 5 वर्षों में भारत के सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2006 में सेवाओं का कुल निर्यात 25 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2007 में 31 बिलियन अमरीकी डॉलर से हो गया है तथा यह अनुमान है कि वर्ष 2010 में निर्यात 60 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो जाएगा।

II. भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर, बढ़ती हुई व्यय योग्य आय सहित युवा पीढ़ी और बढ़ी संख्या में मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं से हार्डवेयर की मांग में वृद्धि होगी। इस समय, इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन देश के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.7% है। इसके वर्ष 2015 तक बढ़कर देश के सकल घरेलू उत्पाद का 5% होने की संभावना है।

III. सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण इकाइयों में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने पारदर्शी और निवेश में सहायक नीति उपलब्ध कराकर और सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र स्थापित करके बृहत् पूंजीनिवेश आकर्षित करने का निर्णय किया है। इन्हें उत्कृष्ट अवसंरचना और निवेश सहायक नीतिगत परिवेश से सम्पन्न किया जाएगा। ऐसा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र सामान्य अवसंरचना और सहायक सेवाओं के इस्तेमाल से साथ-साथ काम करने, नेटवर्किंग और उच्च क्षमता का लाभ उठा पाएगा। ऐसा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र परिसर निर्यात को प्रोत्साहन देगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा रोजगार का सृजन होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की अवधारणा

1. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र सम्बद्ध सेवा तथा अवसंरचना सहित सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण इकाइयों की सुविधाओं की स्थापना करने के लिए लगभग 40 वर्ग किलोमीटर के न्यूनतम क्षेत्र सहित विशेष रूप से बनाए गए निवेश क्षेत्र होंगे।
2. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र उत्पादन इकाइयों, सार्वजनिक उपयोगिताओं, स्थान, पर्यावरण संरक्षण के तंत्रों, आवासीय क्षेत्रों तथा प्रशासनिक सेवाओं का संयोजन होंगे। इसमें संसाधन सुविधाएं होगी जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण इकाइयों सहित स्थान संबंधी और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा अपेक्षित मूल संरचनात्मक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी और गैर-संसाधन क्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक और अन्य सामाजिक और संस्थागत अवसंरचनात्मक सुविधाएं शामिल होंगी। सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के लिए न्यूनतम संसाधन क्षेत्र कुल अभिहित क्षेत्र का लगभग 40% होगा। प्रसंस्करण संबंधी क्षेत्र समीपवर्ती हो भी सकता है और नहीं भी।
3. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्रों में संबंधित केन्द्रीय अथवा राज्य विधान अथवा नीति के अधीन सम्यक रूप से अधिसूचित एक अथवा अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, मुक्त व्यापार और भाण्डागारण क्षेत्र, निर्यात-न्मुखी इकाइयों, अथवा विकास केन्द्र सम्मिलित हो सकेंगे। संबंधित विधान अथवा नीति के अंतर्गत उपलब्ध सभी लाभ सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के एक भाग के रूप में यथास्थिति उक्त क्षेत्रों अथवा पार्कों को उपलब्ध होते रहेंगे।

4. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में विद्यमान परिसरों/उद्योगों तथा सम्पदाओं/सेवाओं को शामिल किया जा सकता है और इस प्रकार इनसे लाभान्वित होंगे और ये क्षेत्र के लिए पूरक होंगे। नए एकीकृत टाउनशिप भी सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते हैं। संबंधित राज्य सरकार समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना बनाने और क्षेत्र निर्धारित करने की दृष्टि से इसे अधिसूचित करेगी।

(टिप्पण : इस दस्तावेज में प्रयोग किए गए शब्द 'राज्य' में संघ शासित क्षेत्र शामिल होगा)

5. प्रत्येक सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में कुछ बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा तथा ईएचएम इकाइयां होंगी, जो सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की आंतरिक अवसंरचना तैयार की जाएगी तथा इसका प्रबंध विकासकर्ता अथवा सह विकासकर्ताओं के एक दल द्वारा किया जाएगा। बाह्य सम्पर्क भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार द्वारा बजटीय संसाधनों के जरिए सेवाओं के लिए दी जा रही सहायता के अलावा बाह्य तथा आंतरिक अवसंरचना के प्रयोक्ता इसके उपयोग के लिए संदाय करेंगे।

केन्द्रीय सरकार की भूमिका

6. भारत सरकार इस नीति के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की स्थापना के लिए सभी आवेदन-पत्रों पर विचार करेगी तथा व्यावहारिक प्रस्तावों को शीघ्रता से अनुमोदित करेगी। यह केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने और पर्यावरण संबंधी और अन्य मंजूरियों की प्रगति तथा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के विकास की निगरानी करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी करेगी।
7. भारत सरकार समयबद्ध रूप से सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के लिए बाह्य वास्तविक अवसंरचनात्मक सम्पर्कों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी जिसमें सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग), विमानपत्तन, दूरसंचार और रेल शामिल हैं। ये अवसंरचनात्मक सुविधाएँ सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से यथा संभव स्थापित/संवर्धित की जाएंगी। केन्द्र सरकार विद्यमान योजनाओं के जरिए आवश्यक व्यावहारिक अंतराल का वित्तपोषण करेगी। जहाँ भी आवश्यक होगा, सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से इन सम्पर्कों की स्थापना के लिए अपेक्षित बजटीय प्रावधान भी किया जाएगा।
8. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के मामले में, नई विमानपत्तन अवसंरचना की स्थापना पर लोक निजी साझेदारी मॉडल में तथा विमानपत्तन अवसंरचना पर नीति के अनुसार विचार किया जा सकता है। जहाँ भी आवश्यक होगा निकटतम विमानपत्तन के लिए जन परिवहन सम्पर्क उपलब्ध कराया जा सकता है। राज्य सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में विमानपत्तन अवसंरचना के लिए अपेक्षित भूमि की अलग से व्यवस्था करनी होगी।
9. शैक्षणिक सुविधाएं स्थापित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जबकि राज्य सरकार अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए उत्तरदायी होगी, केन्द्र सरकार भी कुछ सुविधाएं प्रदान करेगी। उपयुक्त उच्चतम शैक्षणिक एवं अनुसंधान सुविधाएं भी सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में स्थापित की जा सकती हैं। इनमें व्यावहारिक होने पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी शामिल हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नीति के अनुसार सार्वजनिक-निजी भागीदारी में कार्यान्वित की जा सकती है। इससे बृहत्तर औद्योगिक- अनुसंधान-शैक्षणिक सम्पर्क हो जाएगा तथा इससे ज्ञान पर आधारित एक वास्तविक टाउनशिप की स्थापना की अवधारणा को प्रोत्साहन मिलेगा।

10. भारत सरकार भी संबंधित राज्य सरकार को और उसके अभिकरणों को सूचना के प्रसार में सहयोग देगी ताकि सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में घरेलू तथा वैश्विक निवेश को बढ़ावा दिया जा सके ।

राज्य सरकार की भूमिका

11. राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाएगी । यह एक उपयुक्त स्थान का चयन करेगी (गैर-कृषि योग्य भूमि को वरीयता दी जाएगी), प्रस्ताव तैयार करेगी और निर्धारित कार्यविधि के अनुसार अनुमोदन प्राप्त करेगी । जहाँ भी विधान विद्यमान है, वहाँ राज्य सरकार समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना बनाने और क्षेत्र निर्धारित करने की दृष्टि से सुसंगत अधिनियम के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र अधिसूचित करेगी । जहाँ भी आवश्यक होगा, राज्य सरकार विधि अधिनियमित करेगी, जो अन्य बातों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र प्रबंध बोर्ड को सभी प्रकार की मंजूरी/अनुमति देने के लिए समर्थ बनाएगी ।

- 11.1 यह एक उपयुक्त अभिकरण के माध्यम से तकनीकी-आर्थिक पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण आयोजित करेगा । इसके पश्चात् राज्य सरकार 40 वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्र का चयन करेगी, जिसे एक सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित तथा विकसित किया जाएगा । सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा :

- (क) प्रस्तावित क्षेत्र का निर्धारण ।
- (ख) अपेक्षित मूलसंरचना की प्रकृति और मात्रा ।
- (ग) भूमि के उपयोग का नमूना अर्थात् समस्त क्षेत्र को विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोग के लिए विभाजित करना जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय, अस्पताल, स्कूल, पार्क, सड़क आदि ।
- (घ) मास्टर प्लान तैयार करना जिसमें भूमि के विनिर्धारित खण्डों के संबंध में उपर्युक्त उपयोग का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा तथा विकास के मापदण्ड भी शामिल होंगे जैसे कि आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई संबंधी प्रतिबंध और फ्लोर सरफेस इण्टीगर ।
- (ङ) भूमि अधिग्रहण और अवसंरचना के विकास की संभावित लागत ।
- (च) सम्पूर्ण योजना को दो चरणों में चरणबद्ध करना जहाँ पहला चरण अधिसूचित क्षेत्र के 20% से अधिक नहीं होगा ।

राज्य सरकार प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्र इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन के लिए पात्र के रूप में अधिसूचित करेगी । किन्तु, चरण-1 के संपरिवर्तन का कार्य परियोजना विकासकर्ता के चयन के बाद तुरंत आरम्भ किया जाएगा ।

विद्यमान विधान के माध्यम से अथवा समुचित विधान के अधिनियमन के माध्यम से सम्पूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के लिए अधिसूचित भूमि का उपयोग रोक दिया जाएगा । यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में सड़कों एवं अन्य प्रकार के सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का वैकल्पिक उपयोग नहीं किया जाए, ऐसा करने पर मास्टर प्लान का कोई भी भाग निष्फल हो जाएगा । दूसरे शब्दों में, सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए आरक्षित भूमि जिसमें सार्वजनिक सुविधाएँ और सड़क शामिल हैं, को कानून द्वारा मुक्त रखना होगा ताकि भविष्य में विकास में कोई रुकावट नहीं आए ।

सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र का विकास दो चरणों में किया जाएगा अर्थात् :

चरण I

चरण I। ऐसे विनिर्दिष्ट अधिकारों और बाध्यताओं सहित एक सुपरिभाषित परियोजना होनी चाहिए जिनका निर्वाह किसी चयनित विकासकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर किया जा सके। इससे विकासकर्ता से अपेक्षा की जाएगी कि वह भूमि के अधिग्रहण, भवन की अवसंरचना आदि के लिए निवेश करे। व्यवहार्यता रिपोर्ट तथा मास्टर प्लान में सभी सामान्य सुविधाओं के सृजन के लिए व्यापक मानदण्ड और विशिष्टियां अधिकथित की जानी चाहिए ताकि इनका निर्माण अपेक्षानुसार किया जा सके।

यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए कि विकासकर्ता पाँच वर्ष से कम अवधि में तीसरी पार्टी को विक्रय योग्य कम से कम 75% भूमि का विक्रय करेगा। ऐसा न करने पर विलम्ब की अवधि के लिए पर्याप्त रूप से वित्तीय शास्तियां लगाई जानी चाहिए। इस उपबंध को विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए निर्धारित भूमि के लिए लागू किया जाना चाहिए। भूमि की बिक्री का मूल्य विनियमित करना आवश्यक नहीं है सिवाय ऐसे मामले में जिनमें भूमि सार्वजनिक सुविधाओं जैसे कि स्कूलों, अस्पतालों आदि के लिए उपलब्ध कराई जानी है अथवा भूमि का एक उपयुक्त भाग जिसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखना आवश्यक है।

चरण II

कुछ इसी प्रकार के अधिकार और बाध्यताएं चरण-II के लिए भी विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी। तथापि, चरण-II के लिए अधिक लचीलापन होना चाहिए जिसमें परियोजना विकासकर्ता को विनिर्दिष्ट विकास प्रभारों का संदाय करके मास्टर प्लान का अनुपालन करने पर तीसरी पार्टी को भूमि का विकास और उपयोग करने की अनुमति होगी। इससे सम्पूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र का विकास तेज करने में सहायता मिलेगी। चरण-II कार्यान्वित करने की समयावधि 15 से 20 वर्ष हो सकती है।

12. यदि आवश्यक हो तो एक पृथक शहरी स्थानीय निकाय का गठन किया जा सकता है।
13. किसी सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाली राज्य सरकार इस बात को सुनिश्चय करेगी कि क्षेत्र अधिसूचित करने के बाद उसके अधिकार क्षेत्र में सभी प्रभार की वास्तविक अवसंरचना और उपयोगिता सम्पर्क निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य सरकार एक नोडल विभाग अधिसूचित करेगी, जो इन सम्पर्कों में समन्वय स्थापित करेगा। यह विभाग संबंधित प्राधिकरण सहित राज्य सरकार से अपेक्षित सभी प्रकार की मंजूरी सुकर कराएगा।
14. राज्य सरकार अवसंरचना, प्रसंस्करण और अप्रसंस्करण क्षेत्रों की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि के अर्जन में सहायता देगी। भूमि का अर्जन पूर्णतया व्यापक पुनर्वास नीति तथा भूसंसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधित/अधिसूचित किए जाने वाले अनुवर्ती कानूनी उपबंधों और नीति संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।
- 14.1 राज्य सरकार ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों/स्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के प्रस्तावों के बारे में गृह मंत्रालय से विचार-विमर्श करेगी, जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से विदेशियों की उपस्थिति और सरल पहुँच का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
15. विशिष्ट रूप से राज्य सरकार निम्नलिखित अवसंरचना उपलब्ध कराने/सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी :
 - i. विद्युत सम्पर्क और विश्वसनीय और अच्छी क्वालिटी की विद्युत की उपलब्धता। इकाइयां राज्य विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अनुसार मुक्त पहुँच की मांग भी कर सकती हैं;
 - ii. काफ़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता की उपलब्धता;
 - iii. सड़क से सम्पर्क और निकटतम विमानपत्तन से जन परिवहन सम्पर्क;

- iv. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के किनारे से अंतिम निपटान स्थल तक मल-व्यवस्था और बहिष्कार उपचार सम्पर्क;
- v. स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए समुचित अवसंरचना;
- vi. पर्यावरण और वन मंत्रालय की सितम्बर, 2006 की अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित मानकों और मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

16. सामाजिक अवसंरचना महत्वपूर्ण है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

- i. समुचित और पर्याप्त आवासीय सुविधाएँ
- ii. शैक्षणिक सुविधाएँ
- iii. स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ
- iv. स्थानीय वाणिज्यिक सुविधाएँ
- v. मनोरंजन की सुविधाएँ
- vi. सामाजिक- सांस्कृतिक और मनोरंजन की सुविधाएँ
- vii. अधिकांश सुविधाएँ विकासकर्ता/राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाएंगी । किन्तु, केन्द्रीय सरकार पैरा 9 में उपदर्शित अनुसार भी सहायता करेगी ।

17. राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के विकास और सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा/ईएचएम इकाइयों के लिए प्रोत्साहन के अतिरिक्त पैकेज भी अधिसूचित कर सकती है ।

18. राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रबंध बोर्ड का गठन करेगी जिसके कार्य नीचे दिए अनुसार होंगे । ऐसा संबंधित राज्य अधिनियम के अन्तर्गत किया जा सकता है; राज्य आवश्यक होने पर एक नया अधिनियम बनाएगा ।

संस्थागत ढाँचा

19. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के लिए भारत सरकार का नोडल विभाग होगा ।
20. भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की स्थापना के लिए आवेदन-पत्रों की छंटाई करेगी और तत्पश्चात् कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करेगी एवं इसमें शीघ्रता लाएगी । उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन **उपाबंध-क** पर दिया गया है ।
21. प्रत्येक सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्रबंध बोर्ड संबद्ध उपबंध के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के विकास एवं प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा । इसे राज्य स्तर के अनुमोदन जारी करने/इनका शीघ्र निपटान करने का भी अधिकार प्राप्त होगा । राज्य विधान की अनुमति होने पर बोर्ड कार्पोरेट रूप में एक विशेष प्रयोजन यान यह हो सकता है जिसके अध्यक्ष पर्याप्त स्वायत्तता सहित एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, जिसमें विकासकर्ता अथवा सह विकासकर्ता और अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण इकाइयों की प्रतिभागिता होगी । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के रूप में एक पर्यवेक्षी निकाय का भी गठन इस प्रयोजन से कर सकती है :-

- क) सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के कार्यों एवं कार्यनिष्पादन की निगरानी, समीक्षा एवं मूल्यांकन करना
- ख) पणधारकों के बीच विवादस्पद मुद्दों पर कार्रवाई करना
- ग) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य कार्य ।

21.1 नोडल विभाग गृह मंत्रालय से ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र प्रस्तावों के बारे में सुरक्षा संबंधी पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा जो विदेशी मूल के हैं, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों, पाकिस्तान, चीन आदि से जुड़े हुए

2034 GI/08-2

सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे संवेदनशील इलाकों में है तथा समुद्रतल से 50 किलोमीटर के अंदर तटीय क्षेत्रों में है तथा महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रतिष्ठानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में हैं ।

प्रक्रिया

22. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की अधिसूचना के लिए आवेदन-पत्र संबंधित राज्य सरकार द्वारा नोडल मंत्रालय अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अग्रेषित किया जाएगा । राज्य सरकार अपने आवेदन-पत्र के साथ एक परियोजना प्रस्ताव **उपाबंध-ख** पर दिए गए फार्मेट के अनुसार संलग्न करेगी ।
23. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राज्य सरकार और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से इस बात को निश्चित करेगा कि प्रस्ताव नीति के अनुसार है तथा तब इसे उच्च अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष उसकी सिफारिशों के लिए रखा जाएगा ।
24. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशें मंत्रिमंडलीय आर्थिक कार्य समिति के समक्ष उसके निर्णय के लिए रखेगा ।
25. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र प्रस्ताव पर विचार करते समय निम्नलिखित मार्ग-निर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा:
 - i. अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलापों और भावी विकास का संभावित सृजन जिसमें अतिरिक्त रोजगार का सृजन शामिल है ।
 - ii. वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए घरेलू और विदेशी स्रोतों द्वारा संभावित निवेश ।
 - iii. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण निवेश सुविधाओं के लिए संभावित सम्पर्क ।
 - iv. राज्य सरकार की रजामंदी और प्रतिबद्धता ।
 - v. वृहत अग्रणी इकाइयों की रुचि ।
 - vi. प्रस्तावित स्थल के लिए वर्तमान अवसंरचना सम्पर्क और अपेक्षित परिवर्धन/संवर्धन की अनुमानित लागत ।
 - vii. भूमि की उपलब्धता, विशेष रूप से विमानपत्तन से निकटता ।
 - viii. क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन और दीर्घकालिक विकास बनाए रखना तथा लागू पर्यावरण नियमों के साथ अनुरूपता बनाए रखना ।
26. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडलीय आर्थिक कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए नोट में अवसंरचना (राष्ट्रीय राजमार्ग, विमानपत्तन, दूरसंचार, रेलवे) के उपबंध के लिए समयबद्ध रूप से भारत सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा ।
27. प्रत्येक सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रत्येक मामले में मंत्रिमंडलीय आर्थिक कार्य समिति के अनुमोदन के बाद अलग से अधिसूचित किया जाएगा । प्रत्येक संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा और इसके लिए वित्त मंत्रालय के वर्तमान मार्ग-निर्देशों के अनुसार शीघ्रता से वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करेगा । सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र मंत्रिमंडलीय आर्थिक कार्य समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाने के पश्चात सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संबंधित राज्य सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा, जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकार की अपनी-अपनी प्रतिबद्धता का समय-सीमा के साथ उल्लेख होगा ।
28. प्रबंध बोर्ड सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की अधिसूचना के पश्चात तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त परामर्शदाता की विशेषज्ञ सहायता का उपयोग करके नगर और ग्राम योजना के अधीन एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करेगा । परामर्शदाता का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसरण के बाद किया जाएगा ।

मास्टर प्लान में क्षेत्रीय विकास योजना होगी जिसमें एकीकृत टाउनशिप (जहाँ प्रस्तावित है), संसाधन और गैर-संसाधन क्षेत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण इकाइयों की अनुषंगी सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के लिए भूमि का उपयोग विनिर्धारित किया जाएगा। मास्टर प्लान अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण इकाइयों के परामर्श से तैयार किया जाएगा।

29. उपर्युक्त प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप प्राप्त मास्टर प्लान को समुचित सांविधिक दर्जा देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे संबद्ध राज्य कानून के अंतर्गत अवगत कराया जाएगा।
30. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने के प्रस्तावों के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त हो जाने पर प्रबंध बोर्ड द्वारा अथवा किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जिसे ये शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। ऐसी मंजूरी तथा अनुमोदन संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर दिए जाएंगे।

प्रबंध बोर्ड के कार्य

31. प्रत्येक प्रबंध बोर्ड ऐसे उपाय करेगा जिन्हें वह सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के विकास, प्रचालन और प्रबंध के लिए उचित समझता है। इन उपायों में ये शामिल हैं :
 - i) विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करना और उसे लागू करना।
 - ii) सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के अंदर प्रत्यक्ष रूप से अथवा विकासकर्ता/विकासकर्ताओं के जरिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध करना।
 - iii) विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता का चयन करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की आंतरिक अवसंरचना के विकास और अनुरक्षण के लिए उनके साथ रियायत संबंधी करारनामे पर हस्ताक्षर करना।
 - iv) सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में विदेशी और घरेलू पूंजीनिवेश को बढ़ावा देना।
 - v) सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के भीतर उत्पादन को बढ़ावा देना और निर्यात में वृद्धि करना।
 - vi) सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के भीतर इकाइयों के लिए अनुमोदन देना और मंजूरी की सुविधा प्रदान करना।
 - vii) सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की कार्यप्रणाली और कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना।
 - viii) सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में अवसंरचना/सम्पदा के इस्तेमाल के लिए प्रयोक्ता की उगाही अथवा सेवा प्रभार अथवा शुल्क अथवा भाड़ा विनियमित करना।
 - ix) विशेष सेवाओं के लिए शक्ति प्रत्यायोजित करने, समझौता करने अथवा एसपीवी तैयार करने के लिए प्राधिकार का प्रयोग करना।
 - x) कोई अन्य कृत्य राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

विकासकर्ता तथा सह-विकासकर्ता

32. विकासकर्ता एक कानूनी सत्ता है - सरकारी, निजी अथवा सार्वजनिक-निजी भागीदारी जिससे सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के भीतर आंशिक अथवा पूर्ण अवसंरचना का विकास, निर्माण, डिज़ाइन, आयोजन, संवर्धन, वित्त पोषण, प्रचालन, अनुरक्षण अथवा प्रबंध किया जाना है। विकासकर्ता का चयन एक पारदर्शी तंत्र के जरिए राज्य सरकार/प्रबंध बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
 - 32.1 योजना की सफलता अधिकांशतः प्रवर्धक की तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता पर निर्भर करेगी। आवेदकों की पूर्व-अर्हता तथा छंटाई वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और मॉडल अर्हता के लिए प्रार्थना के अनुसार की जानी चाहिए।

वित्तीय बोली आमंत्रित करते समय राज्य सरकार रियायत संबंधी मसौदा समझौता उपलब्ध कराएगी जो चुने हुए बोलीदाता और राज्य सरकार के बीच किया जाएगा तथा इसमें परियोजना की विस्तृत शर्तें होंगी।

वित्तीय बोली वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों और मॉडल प्रस्ताव के लिए प्रार्थना के अनुसार आमंत्रित की जाएगी ।

33. सह-विकासकर्ता एक वैध सत्ता होगा - सरकारी, निजी अथवा सार्वजनिक-निजी भागीदारी जो विकासकर्ता के साथ समझौता करके उसे चिन्हित क्षेत्र में अवसंरचना उपलब्ध कराने में अथवा विभिन्न प्रचालन शुरू करने में सहायता देगी ।
34. विकासकर्ता राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र/टाउनशिप की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करेगा और इस रिपोर्ट में प्रस्तावित टाउनशिप का ढांचा, भूमि के इस्तेमाल की योजना, अवसंरचना और सेवाओं के विकास की योजना, मानदण्ड और विनिर्देश, कार्यान्वयन कार्यक्रम, संसाधन संघटन, सम्पत्ति प्रबंध, प्रचालनात्मक और अनुरक्षण संबंधी ब्यौरे आदि शामिल होंगे ।
35. निर्माण और भवन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण निर्धारण प्रभाव अधिसूचना, 2006 तथा बड़ी परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण संबंधी मंजूरी लेनी होगी ।
- 35.1 सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में विकासकर्ताओं/इकाइयों को उपलब्ध कराए गए संचार के सभी किस्म के चैनल/अवसंरचना सरकार द्वारा निर्धारित संबद्ध सुरक्षा मानदण्डों के अनुसार होने चाहिए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उनका दुरुपयोग रोकने के लिए एक तंत्र होना चाहिए ।
- 35.2 सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में काम करने वाले सभी विदेशियों के पास यात्रा के वैध दस्तावेज होने चाहिए तथा उन्हें संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ के साथ स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए ।
36. विकास, विमानपत्तन, अपशिष्ट प्रबंध सुविधाओं, जल उपचार संयंत्रों आदि के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 (1) (क) के अधीन प्रदत्त कर में छूट के लाभ विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की इकाइयों

37. कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण इकाई, जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की सेवा, विनिर्माण भण्डारण, व्यापार तथा स्थानीय सम्पर्कों सहित स्थान संबंधी और उपयोगिताओं के निवेश के क्षेत्र में सहायता करेगी और जिसके लिए अनुमोदित विस्तृत मास्टर प्लान के अनुसार स्थापना-स्थल उपलब्ध है, सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में स्थापित किए जाने की पात्र होगी तथा प्रबंध बोर्ड के समक्ष संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार आवेदन कर सकती है ।
38. प्रबंध बोर्ड अथवा प्राधिकरण जिसे ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं, इकाइयों को स्थानों का आबंटन यथाविनिर्दिष्ट पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से करेगा ।
39. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र में या किसी अन्य स्थान में, वस्तुओं का उत्पादन/निर्यात कर सकती है सिवाय उनके, जिन पर आयात-निर्यात नीति अथवा लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं अथवा निर्यात के लिए निषेध है ।

निर्गम के विकल्प

40. यदि विकासकर्ता अथवा कोई सह-विकासकर्ता अपना कार्य करने में असमर्थ है अथवा रियायत संबंधी समझौते की शर्तों एवं निबंधनों का उल्लंघन करता है तो इसे एक नए विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता को उन शर्तों और निबंधनों के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया जाएगा जो विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता तथा प्रबंध बोर्ड की बीच हुए रियायत संबंधी समझौते में दी गई हैं ।

41. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र से बाहर जाने की इच्छुक किसी भी इकाई को इसकी अनुमति तभी दी जाएगी यदि उसने लागू देयताओं का भुगतान कर दिया है तथा इस संबंध में प्रबंध बोर्ड के साथ किए गए समझौते का अनुपालन किया है।

विवाद समाधान तंत्र

42. प्रबंध बोर्ड द्वारा विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता के साथ किए गए रियायत संबंधी करार तथा अग्रणी इकाइयों के साथ किए गए समझौते में यह शर्त शामिल की जा सकती है कि सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में पक्षों के बीच किसी करार (जिसके अंतर्गत निर्वचन भी है) करार के अंतर्गत अथवा उससे अथवा के संबंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार का झगड़ा, मतभेद अथवा किसी भी प्रकार का विवाद किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रूप में दिया जाएगा तथा ऐसे झगड़े, मतभेद अथवा विवाद को आरम्भतः पारस्परिक विचार-विमर्श से मित्रवत् रूप से हल करने का प्रयास किया जाएगा तथा ऐसे विचार-विमर्श के बाद कोई समाधान नहीं निकलने पर इसे अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र, नई दिल्ली के पास भेज दिया जाएगा अथवा ऐसे अन्य नियमों का संदर्भ लिया जाएगा जिन पर दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति है तथा यह माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 तथा इसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अधीन होगा।

प्रकीर्ण

43. यह नीति अधिसूचना की तारीख से लागू होगी। इस नीति में बाद में किया जाने वाला कोई भी उपांतरण भविष्यलक्षी प्रभाव से ही लागू होगा।

एन. रवि शंकर, संयुक्त सचिव

उपाबंध क

उच्चाधिकार प्राप्त समिति

भारत सरकार नीचे दिए अनुसार एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी :-

- i) मंत्रिमण्डल सचिव - अध्यक्ष
- ii) सचिव, योजना आयोग
- iii) सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
- iv) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- v) सचिव, वाणिज्य विभाग
- vi) सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- vii) सचिव, राजस्व विभाग
- viii) सचिव, व्यय विभाग
- ix) सचिव, दूरसंचार विभाग
- x) सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग
- xi) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय
- xii) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
- xiii) सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
- xiv) सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय
- xv) सचिव, भूमि स्रोत विभाग
- xvi) सचिव, गृह मंत्रालय
- xvii) सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग -संयोजक

समिति आवश्यकतानुसार किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकती है। संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को आवश्यकतानुसार समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है।

समिति उद्योग के प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण पर भी उपयुक्त रूप से विचार कर सकती है।

२०३९ GI/०८-३

परियोजना प्रस्ताव का प्रारूप

सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण इकाइयों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र स्थापित करने के संबंध में राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार को अपने आवेदन के साथ एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। ऐसे प्रस्ताव में एकीकृत आधुनिक टाउनशिप की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल हो सकता है। ऐसे आवेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना शामिल होगी :

- i) जिस राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र तैयार करने का प्रस्ताव है उसका विधिक ढांचा जिसमें यह भी बताया जाएगा कि यह कार्य किसी विद्यमान अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा अथवा इस प्रयोजन से किसी नए विधान के अंतर्गत किया जाएगा।
- ii) एकीकृत टाउनशिप, यदि प्रस्तावित है, के ब्यौरे।
- iii) सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्रों का स्पष्ट चित्रण।
- iv) चुने गए क्षेत्रों के सीमांकन सहित स्थापना स्थल तथा मानचित्र और स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले भू-चिन्ह।
- v) प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्र तथा प्रस्तावित जोनों की योजना जिसमें निम्नलिखित को शामिल करने के लिए प्रसंस्करण तथा गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र उपदर्शित किए जाएंगे :-
 - क) मानचित्र पर अवस्थापना स्थल/सीमांकन सहित कुल क्षेत्र
 - ख) विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण इकाइयों तथा उपलब्ध रिक्त जमीन
 - ग) अधिग्रहित तथा अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि
 - घ) सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में विद्यमान तथा प्रस्तावित सेवा एवं उत्पादन इकाइयां
 - ङ) मानचित्र पर अवस्थापना स्थल/सीमांकन सहित गैर-प्रसंस्करण क्षेत्रों की पहचान
 - च) मानचित्र पर अवस्थापना स्थल/सीमांकन सहित नए/आवासीय क्षेत्रों की पहचान
 - छ) आवासीय क्षेत्रों के अंदर विद्यमान तथा प्रस्तावित सामाजिक अवसंरचना जैसे कि विद्यालय/महाविद्यालय/अस्पताल/प्रस्तावित मनोरंजन क्षेत्र
- vi) क्या राज्य सरकार ने निम्नलिखित की पहचान कर ली है :
 - क) बड़े सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण उद्योगों द्वारा प्रदर्शित रुचि
 - ख) विकासकर्ता
(टिप्पणी : विकासकर्ताओं के चयन में पारदर्शिता का सुनिश्चय करने के लिए अपनाई गई/प्रस्तावित प्रक्रिया के ब्यौरे भी दिए जाएंगे।)
- vii) क) भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या पर्याप्त प्रस्ताव तैयार किए गए हैं
- ख) क्या सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अनुमति प्राप्त करने की कार्रवाई की गई है। क्या कृषि भूमि/सिंचाई की हुई कृषि भूमि के अधिग्रहण से बचने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं।
- viii) समय सीमा जब तक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार कर लिया जाएगा तथा उसे अपना लिया जाएगा।
- ix) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 2006 की अधिसूचना के माध्यम से बड़ी निर्माण परियोजनाओं के लिए तैयार की गई पर्यावरण अनुमति के मानदण्डों तथा मानकों से संबंधित मैनुअल के अनुसार, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट।
- x) अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलाप के सृजन तथा भावी विकास की अनुमानित क्षमता जिसमें देशीय एवं विदेशी स्रोतों से पूँजीनिवेश की संभावना शामिल होगी।
- xi) रोजगार का संभावित सृजन।
- xii) सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र तक तथा इसके अंदर उपलब्ध कराई जाने वाली बाहरी संपर्क के लिए विद्यमान एवं प्रस्तावित अवसंरचना जिसमें हवाई अड्डा, सड़क, रेल तथा दूरसंचार और विद्युत, जल तथा अपशिष्ट निपटान की अवसंरचना शामिल होगी।

- xiii) प्रस्ताव का वित्तीय पहलु जिसमें स्रोत, परियोजना के वित्त पोषण की पद्धति तथा परियोजना की व्यवहारिता का मूल्यांकन शामिल होगा ।
- xiv) सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित प्रबंध ढांचा जिसमें प्रशासनिक, विनियामक तथा विकास संबंधी कार्य शामिल होंगे; राज्य सरकार के नोडल विभाग/अधिकारी का उल्लेख किया जाएगा ।
- xv) सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में मूलभूत अवसंरचना उपलब्ध कराने/दर्जा बढ़ाने में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता तथा इसके लिए लागत के अनुमान ।
- xvi) बाहरी सम्पर्क जिसके लिए केन्द्र सरकार की सहायता अपेक्षित है तथा उनकी अनन्तिम लागत ।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

POLICY RESOLUTION

New Delhi, the 28th May, 2008

Subject : Policy Resolution for Setting up of Information Technology Investment Regions (ITIRs)

No. 7(5) 2006-E-Infra.-Policy Objectives.—Over the last 5 years, India's Information Technology (IT) / Information Technology Enabled Services (ITES) industry has proven to be a significant economic growth engine. Total services exports have increased from US\$ 25 billion in 2006 to US\$ 31 billion in 2007 and it is projected that exports in the year 2010 would exceed US\$ 60 billion.

II. The demand for hardware will be fuelled by the high growth rate of the Indian economy, aspirations of the younger generation and the large middle class in India with increasing disposable incomes. At present, electronics production is only 1.7% of the country's Gross Domestic Production (GDP). It is expected to grow to 5% of Gross Domestic Production by the year 2015.

III. To promote investment in the Information Technology (IT) / Information Technology Enabled Services (ITES) / Electronic Hardware Manufacturing (EHM) units, the Government has decided to attract major investment by providing a transparent and an investment friendly policy and set up Information Technology Investment Regions (hereinafter referred to as the ITIRs). These would be endowed with excellent infrastructure and investor-friendly policy environment. Such ITIR would reap the benefits of co-siting, networking and greater efficiency through use of common infrastructure and support services. Such a complex would boost, augment exports and generate employment.

CONCEPT OF INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT REGIONS

1. ITIRs would be specifically delineated investment regions with a minimum area of around 40 square kilometers planned for the establishment of Information Technology / Information Technology Enabled Services and Electronic Hardware Manufacturing Units (EHM Units) facilities along with the associated services and infrastructure.
2. ITIRs would be a combination of production units, public utilities, logistic, environmental protection mechanisms, residential areas and administrative services. It would have, processing facilities where Information Technology / Information Technology Enabled Services and electronic Hardware

Manufacturing Units, along with associated logistics and other services, and required infrastructure will be located, and non-processing area, to include residential, commercial and other social and institutional infrastructure. The minimum processing area for the ITIR will be about 40% of the total designated area. The processing area may or may not be contiguous.

3. ITIRs may include one or more Special Economic Zones (SEZs), Industrial Parks, Free Trade and Warehousing Zones, Export Oriented Units, or Growth Centres, duly notified under the relevant Central or State legislation or policy. All the benefits available under the relevant legislation or policy will continue to remain available to the said Zones or Parks, as the case may be, forming part of the ITIR.
4. ITIRs could cover existing settlements/industries and estates/ services and would therefore benefit from and be complementary to the region. New integrated townships could also be set up in the ITIRs. The concerned State Government will notify the same under the relevant Act for proper planning and zoning to ensure coordinated development.

(Note: The word 'State' as used in this document shall include Union Territory)

5. Each ITIR would have some large Information Technology / Information Technology Enabled Services and Electronic Hardware Manufacturing Units, who would play an important role in the establishment of ITIRs. The internal infrastructure of the ITIR will be built and managed by a Developer, or a group of Co-developers. The external linkages will be provided by Government of India and the concerned State Government. The users of external as well as internal infrastructure will pay for its use, except to the extent that the government supports the service through budgetary resources.

ROLE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

6. The Government of India (GoI) will consider under this Policy all applications for establishment of ITIRs and approve expeditiously such proposals as are found feasible. It will also constitute a High Powered Committee to ensure necessary coordination among Central Ministries and State Governments and also monitor the progress of environmental and other clearances, as well as development of ITIRs.
7. Government of India will ensure the availability of external physical infrastructure linkages to the ITIR including Road (National Highways), Airports, Telecom and Rail, in a time bound manner. This infrastructure will be created / upgraded through Public Private Partnerships to the extent possible. Central Government will provide the necessary viability gap funding through existing schemes. Wherever necessary, requisite budgetary provisions for creation of these linkages through the public sector will also be made.

8. In the case of ITIRs, creation of new Airport infrastructure could be considered in the Public Private Partnership model and in accordance with the Policy on Airport infrastructure. Wherever necessary mass transport connectivity could be provided to the nearest Airport. The State Government would have to set apart requisite land for airport infrastructure in the ITIR.
9. Setting up of Educational facilities is most important. While the State Government would be responsible for setting up most of the educational institutions, the Central government would also provide certain facilities. Higher educational and research facilities of relevance could also be set up in the ITIR. These may include a Indian Institute of Information Technology (IIIT) if feasible. IIITs may be implemented in the public-private partnership mode as per the policy of Ministry of Human Resource Development (MHRD). This will make for greater industry-research-academia interaction and give a boost to the concept of creating a true knowledge township.
10. Government of India will also support the State Government concerned, and its agencies, in the dissemination of information, with a view to promoting domestic as well as global investment in the ITIRs.

ROLE OF THE STATE GOVERNMENT

11. The State Government would play the lead role in setting up of the ITIR. It would identify a suitable site (preferably non-agricultural land), prepare the proposal and seek approval as per prescribed procedure. Where there is an existing Legislation, the State Government would notify ITIR area under the relevant Act for the purpose of proper planning and zoning to ensure coordinated development. Where necessary the State Government would enact a Law, which would *inter alia* enable granting of all clearances /permissions by the Management Board of ITIR.
- 11.1 It would conduct a techno-economic pre-feasibility survey, through a suitable agency. Thereafter the State Government shall identify an area of not less than 40 square kilometers to be notified and developed as an ITIR. Based on the survey, the State Government shall commission a feasibility report that would *inter alia* address the following:
 - (a) Demarcation of the proposed area;
 - (b) Nature and extent of infrastructure required;
 - (c) Land use pattern, i.e. dividing the entire area into specified land uses such as IT, industrial, commercial, residential, hospitals, schools, parks, roads etc.
 - (d) Preparation of a master plan that would clearly identify the above uses with respect to specified plots of land and also include development parameters such as covered area, height restrictions and Floor Surface Integer (FSI).
 - (e) The likely cost of land acquisition and of development of infrastructure.
 - (f) Phasing of the entire plan into two phases where the first phase shall not exceed 20% of the notified area.

The State Government shall notify the entire area of the proposed ITIR as eligible for conversion of land use in accordance with the terms specified therein. Conversion of Phase-I, however, will be taken up immediately upon selection of the project developer.

Either through existing legislation or through enactment of appropriate legislation, the notified land use for the entire ITIR shall be frozen. This is essential for ensuring that the land earmarked for roads and other public uses in the ITIR is not put to alternative uses, thereby rendering infructuous any part of the Master Plan. In other words, land reserved for various uses in the ITIR including for public amenities and roads would have to be kept free by law so that future development is not obstructed. The development of an ITIR shall be undertaken in two phases viz:

Phase I

Phase I should be a well-defined project with specified rights and obligations to be discharged by the selected developer within a specified timeframe. This would require the developer to make investments in acquisition of land, building of infrastructure etc. The feasibility report and master plan should lay down the broad standards and specifications for creation of all common facilities so that these are built as expected.

It should be clearly stipulated that the developer shall sell at least 75% of the saleable land to third parties within a period not exceeding five years. Failure should attract sufficiently effective financial penalties for the period of delay. This provision should be specially enforced in respect of land earmarked for Information Technology (IT) use. The price for sale of land need not be regulated except in case of land to be provided for public amenities such as schools, hospitals etc or for a suitable proportion of land that would need to be reserved for economically weaker sections.

Phase II

Somewhat similar rights and obligations may be specified for Phase-II also. However, greater flexibility could be provided for Phase-II wherein third parties may be allowed to develop and utilise land subject to conformity with the Master Plan and upon payment of specified development charges to the Project Developer. This would help accelerate the development of the entire ITIR. The time frame for implementing Phase-II could be 15 to 20 years.

12. A separate Urban Local Body (ULB) may be constituted, if necessary.
13. The State Government, applying for an ITIR, will ensure that after notifying the area, all physical infrastructure and utilities linkages under its jurisdiction are provided within a stipulated time frame. The State Government will notify a nodal Department, which will coordinate these linkages. This Department along with relevant authorities will facilitate all clearances required from the State Government.

14. The State Government would acquire/assist in acquiring the land necessary for setting up of infrastructure, processing and non-processing areas. Acquisition of land must be strictly in accordance with the comprehensive Resettlement and Rehabilitation policy and consequential statutory provisions and policy guidelines as may be amended / notified by the Department of Land Resources from time to time.
- 14.1 The State Government would consult Ministry of Home Affairs (MHA) in respect of ITIR proposals in sensitive areas / locations, where presence and easy access of foreigners may have adverse implications from the national security point of view.
15. In particular, the State Government will be responsible for providing/facilitating the following infrastructure:
 - i. Power connectivity and availability of reliable and good quality power. The units may also seek open access as per the regulations of the State Electricity Regulatory Commission.
 - ii. Provision of bulk requirements of water;
 - iii. Road connectivity (state roads) and Mass transit connectivity to the nearest airport ;
 - iv. Sewerage and effluent treatment linkages, from edge of ITIRs, to the final disposal sites;
 - v. Appropriate infrastructure to address the health, safety and environmental concerns.
 - vi. It should be ensured that the norms and standards prescribed by the Ministry of Environment and Forests notifications of September 2006 are adhered to.
16. **Social infrastructure is important and would cover:**
 - i. Appropriate and adequate residential facilities
 - ii. Educational facilities
 - iii. Health facilities
 - iv. Local Commercial facilities
 - v. Recreational facilities
 - vi. Socio-cultural and Entertainment facilities
 - vii. Most of the facilities would be set up by the developer / State Government. However, the Central Government would also assist as indicated in para 9.
17. The State Government may also notify additional package (s) of incentives for the development of the ITIRs and for the Information Technology / Information Technology Enabled Services / Electronic Hardware Manufacturing units.
18. The State Government would constitute a Management Board for development of the ITIRs with functions as detailed below. This may be done under the relevant state Act; the state will legislate a new Act if necessary.

INSTITUTIONAL FRAMEWORK

19. Department of Information Technology (DIT) will be the nodal department of the Government of India for the ITIRs.
20. A High Powered Committee constituted by the Government of India will scrutinize applications for setting up the ITIRs, and subsequently monitor and expedite the progress of implementation. The composition of the High Powered Committee is at **Annexure-A**.
21. A Management Board constituted by the concerned State Government for each ITIR, under the relevant legislation will be responsible for the development and management of the ITIRs. It will also be empowered to issues/expedite state level approvals. If the state legislation permits, the Board may be an Special Purpose Vehicle (SPV) in a corporate form headed by a Chief Executive Officer with sufficient autonomy, with the participation of the Developer or Co-developers, as well as the leading Information Technology / Information Technology Enabled Services / Electronic Hardware Manufacturing Units. In addition the State Government should also constitute a supervisory body as an ITIR State Level Empowered Committee (ITIR-SLEC) to:-
 - a) monitor, review and appraise the functions and the performance of the ITIRs;
 - b) deal with issues relating to disputes between the stakeholders; and
 - c) any other function as may be prescribed by the State Government.
- 21.1 The nodal Department may obtain prior security clearance from Ministry of Home Affairs (MHA) in respect of ITIR proposals, which are of foreign origin, in the sensitive areas like J&K, North-Eastern States, border areas adjoining Pakistan, China etc. and coastal areas within 50 kms. of the sea shore and the areas in the close proximity of vital and sensitive installations.

PROCEDURE

22. The application for notification of an ITIR shall be moved by the State Government concerned to the nodal Ministry namely Department of Information Technology. The State Government will attach with its application a Project Proposal as per format at **Annexure-B**.
23. Department of Information Technology (DIT) would ensure, in consultation with the State Government, and the central Ministries concerned, that the proposal is as per this Policy and then place it before the High Powered Committee for its recommendations.

24. Department of Information Technology will place the recommendations of the High Powered Committee before the Cabinet Committee on Economic Affairs for decision.
25. The following guidelines will be kept in view while considering an ITIR proposal:
- i. Potential generation of additional economic activity and future growth, including generation of additional employment
 - ii. Potential investment from domestic and foreign sources for production of goods and services.
 - iii. Potential linkages for Information Technology / Information Technology Enabled Services / Electronic Hardware Manufacturing Investment facilities both domestically and internationally.
 - iv. Willingness and commitment of the State Government.
 - v. Interest of major leading units.
 - vi. Present infrastructure linkages to the proposed site, and estimated cost of required addition / up gradation.
 - vii. Land Availability, especially close to airport.
 - viii. Maintenance of ecological balance and sustainable development in the region and ensure conformity with Environmental Laws in force.
26. The Note submitted to the CCEA for approval of an ITIR will clearly state the commitments of Government of India to the provision of infrastructure (National highways, Airports, Telecom, Railways,) in a time bound manner.
27. Each ITIR will be notified separately by Department of Information Technology after CCEA approval in each case. Each concerned central Ministry will then prepare detailed project reports, and obtain financial approvals to the same expeditiously as per extant guidelines of Ministry of Finance. Department of Information Technology will enter into a Memorandum of Agreement with the State Government concerned, indicating the respective commitments with timelines of the Central and State Government, after the ITIR has been approved by CCEA and notified by Department of Information Technology.
28. The Management Board will, after notification of the ITIR, prepare a detailed master plan under the State Town and Country Planning Act, using the expert assistance of a technically qualified consultant. The consultant will be selected after following a transparent process. The master plan will consist of a regional development plan specifying land use for integrated townships (where proposed), and for processing and non-processing areas, as well as ITIR ancillaries of EHM Units. The Master Plan would be prepared in consultation with leading Information Technology / Information Technology Enabled Services / Electronic Hardware Manufacturing units.
29. The master plan as finalized through the above process shall be apprised by the competent authority under the relevant state law to give it appropriate statutory status.

2034 GI/08-5

30. Proposals for setting up units in the ITIR will be granted approval by the Management Board, or such authority to which these powers are delegated, after obtaining such clearances as are necessary. Such clearances and approvals will be granted within a stipulated period of time, as prescribed by the concerned State Government.

FUNCTIONS OF THE MANAGEMENT BOARD

31. Each Management Board will undertake such measures as it thinks fit for the development, growth, operation and management of the ITIR. These measures will include:
- i) Preparation and enforcement of the detailed Master Plan.
 - ii) Providing the necessary infrastructure within the ITIR, either directly or through Developer(s)
 - iii) Selection of Developer/Co-developers and entering into concession agreements with them for the development and maintenance of infrastructure internal to the ITIR.
 - iv) Promotion of investment, both foreign and domestic, into the ITIR.
 - v) Promotion of production within, and exports from, the ITIR.
 - vi) Granting approvals for, and facilitating clearances to units within the ITIR.
 - vii) Review of the functioning and performance of the ITIR.
 - viii) Regulation of levy of user or service charges or fees or rent for the use of infrastructure / properties in the ITIR
 - ix) Exercise of authority to delegate, enter into or create Special Purpose Vehicles (SPVs) for specialized services.
 - x) Any other functions as may be prescribed by the State Government.

DEVELOPER AND CO-DEVELOPER

32. The Developer is a legal entity – Government, private or a Public Private Partnership that develops, builds, designs, organizes, promotes, finances, operates, maintains or manages a part or whole of the infrastructure and other facilities in the ITIR. The Developer would be selected by the State Government/Management Board through a transparent mechanism.
- 32.1 The success of the scheme would depend significantly on the technical and financial capacity of the developer. The pre-qualification and shortlisting of applicants shall be undertaken in accordance with the Guidelines and the Model Request For Qualification (RFQ) prescribed by the Ministry of Finance.

While inviting the financial bids, the State Government shall provide the Draft Concession Agreement that will be entered into between the selected bidder and the State Government and shall contain the detailed terms of the Project. The financial bids shall be invited in accordance with the guidelines and Model Request For Proposal (RFP) document as may be issued by the Ministry of Finance.

33. Co-developer will be a legal entity – Government, private or Public Private Partnership – that assists the developer in providing infrastructure facilities in the identified area or to undertake various operations after entering into an agreement with the developer for providing the same.
34. Developer shall prepare and submit a Detailed Project Report (DPR) of the ITIR/township within the stipulated time frame as fixed by the State Government and this report shall consist of layout of the proposed township, land use plan, infrastructure and services development plan, standards and specifications, implementation schedule, resource mobilization, property management, operational and maintenance details etc.
35. Construction and building projects would have to obtain environmental clearances as per the provisions of Environmental Impact Assessment (EIA) notification, 2006 and the Social Impact Assessment (SIA) of large projects.
- 35.1 All modes of communications channels / infrastructure provided to the Developers / Promoters / Units in the ITIRs should conform to the relevant security norms laid down by the Government and there should be a mechanism to check their misuse against the national security interests.
- 35.2 All foreign nationals operating in the ITIRs should be in possession of valid travel documents and they should register themselves with the concerned FRRO/FRO.
36. The benefits of tax holidays as provided under section 80(I)(A) of the Income Tax Act for development, airports, waste management facilities, water treatment plants, etc. would be available to the Developer/Co-developer.

UNITS IN THE ITIR

37. Any Information Technology/Information Technology Enabled Services / Electronic Hardware Manufacturing units that will support the IT industry in the investment region for services, manufacturing, stocking, trading including logistics and utilities with local linkages, and for which site is available as per the approved detailed Master Plan, will be eligible for being set up in the ITIR, and may apply to the Management Board in such form as will be specified by the authority concerned.
38. The Management Board, or the authority to which such powers are delegated, will allot sites to units through a transparent process as specified.
39. An Electronic Hardware Manufacturing unit located in ITIR, whether in Special Economic Zones or elsewhere, may produce / export goods except those prohibited either for services or export under the EXIM Policy or any other Act in force.

2034 GI/08-6

EXIT OPTIONS

40. In case the Developer, or any Co-developer, is unable to discharge his functions, or violates the terms and conditions of the concession agreement, the same may be transferred to a new Developer / Co-developer under terms and conditions to be provided in the concession agreement between the Developer / Co-developer and the Management Board.
41. Any unit that wants to exit out of the ITIR will be allowed subject to payment of applicable dues and in compliance with the agreement with the Management Board in this regard.

DISPUTE RESOLUTION MECHANISM

42. The concession agreement(s) executed by the Management Board with the Developer/Co-developer(s), and the agreements with the leading units, may contain the condition that any dispute, difference or controversy of whatever nature arising under or out of or in relation to any Agreement (including its interpretation) between the parties in the ITIR shall be notified in writing by either party to the other party and such dispute, difference or controversy shall, in the first instance be attempted to be resolved amicably by mutual consultation and if no solution is arrived after such consultation, the same may be referred to the International Centre for Alternate Dispute Resolution, New Delhi or such other rules as may be mutually agreed by the parties, and shall be subject to the Arbitration and conciliation Act 1996 and amendments made thereto from time to time.

MISCELLANEOUS

43. This policy will take effect from the date of its notification. Any subsequent modification in the Policy will be applied only with prospective effect.

N. RAVI SHANKER, Jt. Secy.

Annexure-A

HIGH POWERED COMMITTEE

Government of India will constitute a High Powered Committee (HPC) with the following composition: -

- i) Cabinet Secretary - Chairman
- ii) Secretary, Planning Commission

- iii) Secretary, Ministry of Urban Development
- iv) Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development
- v) Secretary, Department of Commerce
- vi) Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion
- vii) Secretary, Department of Revenue
- viii) Secretary, Department of Expenditure
- ix) Secretary, Department of Telecommunications
- x) Secretary, Road Transport and Highways
- xi) Secretary, Ministry of Civil Aviation
- xii) Chairman, Railway Board
- xiii) Secretary, Ministry of Environment and Forest
- xiv) Secretary, Ministry of Labour and Employment
- xv) Secretary, Department of Land Resources
- xvi) Secretary, Ministry of Home Affairs
- xvii) Secretary, Department of Information Technology..... Convener

The Committee may co-opt any other member as required. Chief Secretaries of the State Governments concerned may be invited to the meetings of the Committee as required.

The Committee may also take into account the views of the representatives of Industry, as may be deemed appropriate.

Annexure-B

Format for Project Proposal

The Project Proposal to be provided by the State Government, along with its application to the Department of Information Technology, Government of India for setting up ITIR for Information Technology / Information Technology Enabled Services (IT/ITES)/Electronic Hardware Manufacturing (EHM) units. Such proposal may also include setting up of integrated modern township. Such application would *inter alia*, include the following information:

- i) The legal framework in the State under which the IT Investment Region is proposed to be formed, including whether this would be under an existing Act or under a new legislation to be enacted for this purpose
- ii) Particulars of integrated township, if proposed.
- iii) Clear delineation of Information Technology / Information Technology Enabled Services and Electronic Hardware Manufacturing areas.
- iv) The location along with demarcation of the identified areas with map and clearly identifiable landmarks.
- v) The total area of the proposed ITIR, with the proposed zoning plan indicating the processing and non-processing areas to include:-
 - a) total area with location/demarcation on map
 - b) existing IT/ITES/Electronic Hardware Manufacturing units and vacant land available

- c) land acquired and proposed to be acquired
- d) the existing and proposed Service and production units in the ITIR
- e) Identify non-processing areas with location/demarcation on map.
- f) Identify new/residential areas with location/demarcation on map.
- g) existing and proposed social infrastructure such as Schools/ Colleges/ Hospitals/ recreational area proposed within the residential areas.
- vi) Whether the State Government has identified:
 - a) Interest shown by large IT/ITES; Electronic Hardware Manufacturing industries,
 - b) Developer(s)(Note: details of the procedure adopted/proposed to ensure transparency In the selection of Developer(s) may also be provided)
- vii)
 - a) Whether adequate proposals have been prepared for rehabilitation and resettlement of the persons affected by land acquisition.
 - b) Whether steps are being taken to obtain Socio Impact Assessment (SIA) clearance. Whether adequate care has been taken to avoid acquisition of agricultural lands/irrigated agricultural lands.
- viii) The time frame by which a detailed Master Plan would be formulated and adopted.
- ix) An Environmental Impact Assessment (EIA) report as per the manual on Norms and standards for Environment Clearance of large construction projects prepared by the Ministry of Environment and Forests, notification of September, 2006.
- x) Estimated potential for generation of additional economic activity and future growth, including potential investment from domestic and foreign sources.
- xi) Likely generation of Employment.
- xii) Existing and proposed infrastructure for external linkages, including airport, road, rail and telecom as well as infrastructure such as power, water and effluent disposal, to be provided up to and within the ITIR
- xiii) Financial aspects of the proposal, including source, mode of financing the project and assessment of viability of the project.
- xiv) Proposed management structure of ITIR including the administrative, regulatory and development functions; the nodal department/officer of the State Government may also be indicated.
- xv) The commitment of the state government in providing/upgrading basic infrastructure in ITIR and the cost estimates of the same.
- xvi) The external linkages for which support is required from the Central Government, and their tentative costs.